छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 914/2007*</u>

1. **श्री राजीव कुमार दुबे,** - *अपीलार्थी*
शाप नंबर-3, आर0डी0ए0 काम्प्लेक्स,
टैगोर नगर चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय संचालक लोक शिक्षण संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 18 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजीव कुमार दुबे ने दिनांक 26.03.2007 को जानकारी प्राप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जो जानकारी प्रदाय की गई वह गलत एवं भ्रामक जानकारी मानकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उसका भी निराकरण समयावधि में नही किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील दिनांक 05.10.2007 को प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए श्री डी0के0 चन्द्राकर, सहायक संचालक को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 23.02.2008 को प्रस्तुत किया गया । उन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि आडिट कक्ष के प्रभारी लिपिक होते हैं और उनके द्वारा जो जानकारी प्रदाय की गई है, उसी के आधार जन सूचना अधिकारी को उत्तर भेजा गया था तथा इस संबंध में कोई आडिट प्रतिवेदन या अभिलेख उपलब्ध नही है और प्रभार ग्रहण पंजी में भी इससे संबंधित नस्ती नही दी गई है । इस संबंध में कक्ष प्रभारी लिपिक श्री एम0एन0 पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसके उत्तर में श्री पाठक द्वारा बताया गया है कि प्रभार ग्रहण रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें ऐसी कोई नस्ती उन्हें प्रभार में नही मिली थी । सुनवाई के समय यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी के पिता संचालक थे और आडिट संबंधी नस्ती उन्हीं के पास रही होगी और अब वह गायब है, इस संबंध में श्री बी0के0 शर्मा ने भी जानकारी दी कि श्री

ए0बी0 दुबे, सेवानिवृत्त संचालक को उक्त नस्ती अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई थी, जो उन्हें वापस प्राप्त नही हुई है । अतः प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि आडिट तो किया गया था और उससे संबंधित आडिट की प्रति और आडिट प्रतिवेदन जहाँ से प्राप्त हुआ था, उससे संबंधित नस्ती नही मिल रही है, निश्चित रूप से आडिट जिस अधिकारी के नियंत्रण में हुआ होगा, उसकी द्वितीय प्रति उक्त अधिकारी के पास हो सकती है और यह अत्यंत गंभीर विषय है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय में रिकार्ड व्यवस्थित रखने और उसकी जिम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था नही है, अतः सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को यह निर्देश दिये जाते है कि संबंधित नस्ती के संबंध में सभी स्त्रोतों से जांच करावे और जब वे नस्ती प्राप्त हो जावे तो चाही गई जानकारी अपीलार्थी को एक माह के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि नस्ती नहीं मिले तो उसकी गुम होने की पुलिस में रिपोर्ट कराई जावे और गुम होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर दोषियों के विरूद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही की जावे । यदि किसी भी स्त्रोत से आडिट प्रतिवेदन नही मिले तो जिस कार्यालय का आडिट हुआ है उक्त कार्यालय का पुनः तत्काल आडिट कराने के संबंध में भी उस स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए । चूंकि प्रकरण में श्री डी0के0 चन्द्राकर की त्रुटि अथवा दुर्भावना इस मामले में नही पाई जाती है, अतः उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त